

उत्तर प्रदेश शासन,  
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2  
संख्या-882/43-2-2008-15/2(3)/07 टीसी-III  
लखनऊ : दिनांक: 7 जुलाई, 2008


कार्यालय-ज्ञाप

सूचना को आधिकार आधारित, 2005 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिसूचित शास्तियों एवं पारित अन्तिम आदेशों / दण्डादेशों के नियमित अनुप्रयोग हेतु एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता है, जो निम्नलिखित है-

- |  |            |
|--|------------|
| 1- मुख्य सचिव                                | अध्यक्ष    |
| 2- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग                  | सदस्य      |
| 3- प्रमुख सचिव / सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग | सदस्य-सचिव |
| 4- प्रमुख सचिव / सचिव, कार्मिक विभाग         | सदस्य      |
| 5- प्रमुख सचिव / सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग | सदस्य      |
| 6- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग       | सदस्य      |

अतुल कुमार गप्ता  
मुख्य सचिव।

- संख्या 882(1)/43-2-2008-15/2(3)/07 टीसी-III तद्दिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- राज्य सचिव, राज्य प्रशासन
  - 2- प्रमुख सचिव / सचिव, उ०प्र० शासन।
  - 3- सचिव, उ०प्र० राज्य सूचना आयोग, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,  
  
(अनीता सिंह)  
सचिव।